झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक : 05 (यो0–7)–365/2021 ग्रामीण कार्य विभाग......551/.....राँची दिनांक 07.09.2021

प्रेषक,

डॉ० मनीष रंजन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–डोरण्डा, झारखण्ड, राँची।

विषय : **राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कोडरमा के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (शीर्ष–4515) के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में पथ/पुल/पुलियों परियोजनाओं के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग : मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, राँची के पत्रांक–642 (अनु0), दिनांक–22.06.2021

आदेश : स्वीकृत।

2. राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग **कार्य प्रमण्डल, कोडरमा** के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (शीर्ष–4515)के अन्तर्गत वर्ष **2021–22** में निम्न पथ/पुल/पुलियों परियोजनाओं के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0 स0	पथ /पुल/पुलिया योजना का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत्यादेश की राशि (लाख में)	प्रखण्ड
1	2	3	4	5
1	बसधरवा रेलवे पुल से ब्रह्मा नदी होते हुए धमराय तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य।	3.50	107.740	कोडरमा
	कुल	**3.50**	**107.740**	

(एक करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार रू0 मात्र)

3. उक्त योजना के विस्तृत प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, राँची द्वारा योजना के सामने अंकित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
4. उक्त योजना पर होने वाला व्यय शीर्ष 4515–लघु शीर्ष–103–ग्रामीण विकास उपशीर्ष–04–न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम–ग्रामीण पथों का निर्माण Sub Scheme –01 ग्रामीण पथ विस्तृत शीर्ष 05–निर्माण–45 निर्माण कार्य विपत्र कोड–55-S-4515-00-103-04-01-05-45 (योजना मद) के तहत विकलनीय होगा।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **कोडरमा** होंगे।
6. राशि की निकासी जिला कोषागार, **कोडरमा** से की जायेगी।
7. वैधानिक रूप से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक योजना में किसी प्रकार का Liability Create नहीं किया जायेगा।
8. संबंधित कार्यपालक अभियंता उक्त योजना का क्रियान्वयन शहरी क्षेत्र अन्तर्गत नहीं किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
9. **कार्यपालक अभियंता**, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **कोडरमा** सुनिश्चित कर लेगें कि **विषयांकित योजना** का कार्यान्वयन **पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं अन्य योजनाओं** के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है।
10. विषयांकित योजना के **पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं अन्य योजनाओं** के अन्तर्गत स्वीकृत होने पर इस स्वीकृत्यादेश को निरस्त समझा जाएगा।
11. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, **कोडरमा** कार्य प्रारंभ होने से पूर्व योजना के तकनीकी पक्षों से स्वयं संतुष्ट हो लेगें।

12. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, **कोडरमा** पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य शुरू होने से पूर्व पथ की जियो टैग फोटोग्राफी तथा कार्य पूर्ण होने पर पुनः पथ की जियो टैग फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य की उपयोगिता एवं सम्पूर्ण गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण के एकरारनामा में उल्लेखित शर्तों के **अनुसार समय–सीमा के अंदर कार्य पूर्ण** कराना सुनिश्चित करेंगे।
15. **संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित** करेंगे कि पथ रैयती भूमि एवं वन भूमि अन्तर्गत नहीं है।
16. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003 एवं पत्रांक–2903, दिनांक–21.07.16 का निर्देशों एवं झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग के पत्रांक–301, दिनांक–11.03.15 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजना स्वीकृत है।
18. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(Manish Ranjan)

(डॉ० मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 55/(ग्रा) / ग्रामीण कार्य विभाग — राँची,दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि–उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, **कोडरमा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Manish Ranjan)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 55/(ग्रा) / ग्रामीण कार्य विभाग — राँची,दिनांक 07.09.2021

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Manish Ranjan)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 55/(ग्रा) / ग्रामीण कार्य विभाग — राँची,दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, राँची /मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, रांची/मुख्य अभियंता, जे०एस०आर०आर०डी०ए०, राँची/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **हजारीबाग**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **कोडरमा**/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Manish Ranjan)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 55/(ग्रा) / ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) — राँची,दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Manish Ranjan)

सरकार के सचिव।